


महोदय जी, प्रार्थीका नाम ग्राम धनोप जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में
रकता संख्या 822 और 306 में प्रार्थी का नाम अनिता अंकित है
जबकि अन्य दस्तावेजों जैसे माह्यमिक अंकतालिका, उच्चमाह्यमिक
अंकतालिका व आहार कार्ड में लालीशर्मा अंकित है। अतः युतांकित
अंकतालिका व आहार कार्ड के प्रार्थी का नाम अनिता कि बजाय
लालीशर्मा किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकला 
T. R. धनोप

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट पत्रकारी गाँव 1R सडोमपतं सीमा, कोसग


तहसीलदार
फूलियाकला, जिला-मीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"


प.स. 147/18

आदेश केम- धनोप दि. 15-5-18

इस रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकला के ग्राम धनोप की जमाबन्दी संवत्
2072-75 के रकता संख्या 822 व 306 में दर्ज प्रार्थीका का नाम
अनिता के बजाय लाली दर्ज दिखे जाने का आदेश दिया जा रहा है।

फूलियाकला तहसीलदार फूलियाकला को भेजा जावे।




उपसमूह अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलियाकला, जिला-मीलवाड़ा